

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे III / 5245

दिनांक :- 25/02/2020

आदेश संख्या : 19/2019-20

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार कार्मिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स. (1)	लिक नम्बर (2)	नाम (सर्वश्री) (3)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (4)	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम (5)	विशेष विवरण (6)
1	11400	मुकेश कुमार यादव	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सैपऊ, धौलपुर - 22915	वेतन एवं भुगतान अधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, नई दिल्ली - 1129	रिक्त पद पर
2	10002	प्रवीण कुमार शर्मा	महानिदेशक कारागार जयपुर, गृह विभाग, जयपुर - 18475	प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली - 20457	रिक्त पद पर

विभागीय आदेश संख्या 508/2019-20 दिनांक 29.09.2019 के द्वारा श्रीमती मीतू पोपली, कनिष्ठ लेखाकार का कार्यालय संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर से राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं विभागीय आदेश संख्या 223/2019-20 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा श्री नरोत्तम पूरी, कनिष्ठ लेखाकार का कार्यालय आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली से राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में किया गया स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति दिनांक 24.02.2020 के क्रम में लोक - हित में जारी किये जाते हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)1(6)अलेसे III / 5245

दिनांक :- 25/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
- कोषाधिकारी.....
- श्रीकनिष्ठ लेखाकार कार्यालयको प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)